न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/3685/2005/अलवर

1– राजबाला बेवा रोशनसिंह, जाति राजपूत, निवासी नंगली बलाई, तहसील बहरोड़, जिला अलवर।

------ अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अलवर।

------ रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य
श्री भवानीसिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित
(1) श्रीमती पूनम माथुर, अभिभाषक अपीलांट
(2) श्री श्रीनिवास बेनीवाल अति0 राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक :– 15–01–2025

अपीलांट ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–06–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– सारतः तथ्य इस प्रकार है कि वादनी/अपीलांट ने सहायक कलक्टर बहरोड़ के समक्ष एक दावा इस्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई दवामी का पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट का पति रोशनसिंह फौज में कार्य करता था तथा फौज में कार्य करते हुए मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नि राजबाला को साबिक खसरा नं0 772 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा का आवंटन किया गया जिसके हाल ख0नं0 1274, 1275, 1276 व 1277 बने। आवंटन के बाद अपीलांट के नाम गैर खातेदारी दर्ज हो

गयी परन्तु सैटलमेन्ट विभाग ने इसे सिवायचक दर्ज कर दिया। उक्त आराजी के संबंध में अपीलांट ने पूर्व में दावा पेश किया जो दिनांक 11–06–1996 को डिक्री हो गया किन्तु दावा केवल 2–28 ऐयर भूमि पर ही डिक्री किया गया। इस वाद को विचारण न्यायालय ने दिनांक 25–09–2004 को वादिनी का वाद साबित नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जिसकी अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय में होने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 09–06–2005 से अपील अपीलांट खारिज की गयी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष की बहस अपील पर सुनी गयी।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि राज्य सरकार द्वारा अपीलांट को जो भूमि आवंटित की गयी थी, उस भूमि का पूरा रकबा अपीलांट के पास काश्त में नहीं है जो पूरा रकबा अपीलांट को दिलाया जाये और विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, बहरोड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–09–2004 एवं भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–06–2004 को अपास्त किया जावें।

5– इसके विपरीत राज्य सरकार के अधिवक्ता ने तर्क दिये कि पूर्व में अपीलांट की तरफ से दावा पेश किया गया था जिसमें अनुतोष नहीं मिलने पर यह दूसरा दावा पेश किया है जिस खसरा नंबर की भूमि अपीलांट चाहते थे, वह चारागाह भूमि है जो आवंटन योग्य नहीं है। इसलिए अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6– हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं आलौच्य आदेशों का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पूर्व में वादिनी ने एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर, बहरोड़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो रिकॉर्ड दुरूस्ती बाबत् पेश किया था। उक्त वाद दिनांक 11–06–1996 को डिक्री हुआ जिसके द्वारा वादिनी को खातेदार घोषित किया गया।

8– इसके पश्चात् वादिनी ने दूसरा वाद पेश किया है जिसे विद्वान सहायक कलक्टर, बहरोड़ ने अपने निर्णय दिनांक 25–09–2004 द्वारा

प्रश्नगत अनुतोष बाबत् वादिनी का वाद खारिज किया गया है जिसकी अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय को की गयी जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 09–06–2005 में विस्तृत विवेचन करते हुए अपील को बलहीन मानकर खारिज किया गया है। राजस्व मण्डल में इन दोनों निर्णयों के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर, बहरोड़ एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णयों को निरस्त किया जाना चाहा है।

9– प्रश्नगत भूमि खसरा नं0 772 रकबा 3–14 है0 जिसके नये खसरा नं0 1274 से 1277 सृजित हुए हैं। उक्त भूमि जमाबन्दी में चारागाह के नाम से दर्ज थी। अतः चारागाह भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार चारागाह भूमि पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित की गई हो, इस संबंध में कोई राज्यादेश या उसकी अनुसरण में आवंटन पत्र पत्रावली पर पेश होकर प्रदर्शित नहीं हुआ है। सी0पी0सी0 के आदेश 2 नियम 2 के अनुसार कोई ऐसा अनुतोष जो पूर्व वाद में मांगा जा सकता था और नहीं मांगा गया तो उस पश्चात्वर्ती अनुतोष को त्याग दिया माना जायेगा और उस आधार पर पश्चात्वर्ती वाद पोषणीय नहीं है। अर्थात् धारा 12 सी0पी0सी0 अपर वाद को वर्जित करती है। अतः इस द्वितीय अपील में कोई बल नहीं होने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने के आधार पर प्रश्नगत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य है।

10– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09–06–2005 व सहायक कलक्टर, बहरोड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2004 यथावत् रखें जाते हैं।

11– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानीसिंह पालावत)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य